

[भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, तारीख 28 दिसंबर, 2020

सा.का.नि....(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22 दिसंबर, 2020, जिसे सा.का.नि.786(अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2020, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में :-

- पृष्ठ 3 में, पंक्ति 16 में, "परंतुक के स्थान पर" शब्दों के स्थान पर "परंतुको के स्थान पर" शब्दों को पढ़ें;
- पृष्ठ 7 में, पंक्ति 19 में, "सात कार्य दिवस" शब्दों के स्थान पर "तीस दिवस" शब्दों को पढ़ें ।

[फा.सं. सीबीईसी -20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार